तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 84/2019 उनवान सुरेश बनाम DSO	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-9-2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-9-R-9 CPC पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में अपील उनवानी सुरेशचन्द उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न० 5, 6 तहसील नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी। जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 18-6-2019 को न्यायालय में हाजिर हुआ। पत्रावली में आगामी ता० पेशी 4-7-2019 नियत की गई। जिसे प्रार्थी अपने अभिभाषक को नोट कराकर चला गया तथा दिनांक 1-10-2019 को न्यायालय आने पर तारीख पेशी बाबत जानकारी की तो उसकी अपील दिनांक 18-6-2019 को ही अदम पैरवी में खारिज कर दी गई है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी काफी गम्भीरता से करता आ रहा है, अगर उक्त अपील को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो अपील करने का मकसद फौत हो जावेगा। प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी तथा वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया। प्रार्थी को न्यायालय के द्वारा कई बार आवाज लगवाये जाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण	

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 18-6-2019 को विचाराधीन अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो उसके प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करता हो। अपील दिनांक 18-6-2019 को खारिज हुई है, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी म्याद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। **<u>अतः आदेश है कि-</u>** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने अपील खारिज किया जाता है। जिला कलक्टर, भरतपुर (राज०)	